

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णाय क्षति होना सम्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है तथा वादग्रस्त आराजी के भू राजस्व रेकॉर्ड में रेकॉर्डेड खातेदार ही नहीं हैं। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वारस्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपरखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
उपरखण्ड-अधिकारी जैतारण
सहायक कलेक्टर, जैतारण (व्यावर)
(जिला-ब्यावर)

दिनांक 02/04/2025 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपरखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
उपरखण्ड-अधिकारी जैतारण
सहायक कलेक्टर, जैतारण (व्यावर)
(जिला-ब्यावर)

